आदिवासियों का राजनीतिक चेतना : विश्लेषणात्माक अध्ययन

डॉ० सुप्रिया सोनालिका
सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)
योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय
नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू

सारांश

आदिवासियों में राजनीतिक चेतना सदैव विद्यमान रही है। इसी के परिणाम स्वरूप, आदिवासी पुरातन काल से अपनी विषिष्ट शासन संचालित करते आ रहे है। इनकी शासन प्रणाली मूलतः स्थानीय समस्याओं एवं उनके समाधान पर केन्द्रित रही है अर्थात् इसका स्वरूप स्थानिक है। इनको आधुनिक शासन प्रणाली से सामंजस्य स्थापित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आदीवासी प्रारंभ से ही समाज से अलग रहकर अपनी विष्ष्टि पहचान कायम किये हुए है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों ने अदम्य उत्साह एवं शौर्य का परिचय देकर अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की। इनके इस बहुमुल्य योगदान के कारण स्वतंत्र भारत सरकार ने आदिवासियों के समुचित विकास एवं राजनीतिक भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों में स्थान दिया। भारतीय संविधान की पाँचवी तथा छठी अनुसूची में आदिवासी समुदायों के राजनीतिक हितों पर विषेष ध्यान दिया गया है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में भी आदिवासियों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं विधानपरिषदों आदि में समुचित स्थान प्रदान करने के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। इन क्षेत्रों में उनके सीटों का बटँवारा परिसीमन द्वारा तय किया गया है।

भारत सरकार ने केन्द्र एवं राज्य स्तर में आदिवासियों कि भागीदारी सुनिष्चत करने के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर अथवा पंचायत स्तर पर स्वषासन हेतु प्रावधान किए है। इसी उद्देष्य से केन्द्र सरकार ने वर्ष १९९६ में ''पेसा'' का प्रावधान किया और इसके द्वारा आदिवासियों को ग्रामीण स्तर पर विषिष्ट स्थान प्रदान किया। भारत के नौ राज्य (जनजातीय राज्य) पाँचवीं अनुसूची में शामिल है। इसमें केवल झारखण्ड को छोड़कर शेष आठ राज्यों में ''पेसा'' के तहत पंचायती चुनाव सम्पन्न कराए गए। इस नियम से आदिवासियों में ग्राम स्वषासन की भावना जागृत कर उन्हें केन्द्र एवं राज्य के साथ समन्वय कायम कर कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है।

इन उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्ति जनजातियों को समुचित स्थान दिलाने के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन, मंत्रालय समितियाँ आदि कार्यषील है। लेकिन, इन सब प्रयासों के बावजूद स्वतंत्रता के ६९ वर्ष बीत जाने के बावजूद आदिवासी मुख्य धारा में नहीं आ पाए है। इसका मूलभूत कारण इनमें व्याप्त गरीबी, अषिक्षा, बेगारी,

आदि है। इसलिए सरकार को सबसे पहले इन मूलभूत बुनियादी आवष्यकताओं की पूर्ति सुनिष्चित करें तभी जाकर आदिवासियों की राजनीतिक दषा को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

मुख्य रेखांकित शब्द : अनुसूची लोकतंत्रात्मक, संदेषवाहक, आत्मसात, आत्मसात, आधुनिकीकरण ।

भूमिका

झारखण्ड भारत ने प्रमुख राज्यों में काफी महत्वपूर्ण है। इसकी प्राकृतिक विविधता एवं संसाधनों की प्रचुरता इसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी बहुल जनसंख्या का राज्य के विकास, नवनिमर्ण में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आदिवासियों को झारखण्ड की प्रकृतिक छआ एवं भौगोलिक दर्षाएं काफी रास आती है। इसके कारण इन्होंने अपने को विषिष्ट रूप से इन वातावरण के अनुकूल समायोजित कर लिया है। आदिवासियों ने अपनु विकास एवं उचित संवर्द्धन हेतु अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की है।

दरअसल, पुरातन समय से ही आदिवासियों ने अपने को समाज के अन्य वर्ग से अलग रखा। इस अलग समाज के कुषल संचालन हेतु इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की वे अधिकतर कबीलों में निवास करते थे। इसके कारण उन्होंने स्थानीय स्तर पर परहा, हातु टोला पंचायतो का संगठन कर स्थानीय शासन प्रारंभ किया। धीरे-धीरे इनके शासन का स्वरूप विभिन्न कालों में बदलता रहा। अंग्रेजी शासन काल के दौरान इन आदिवासियों ने अपने अस्तिव की रक्षा की लड़ाई की साथ ही साथ अपनी शासन व्यवस्था को कायम रखने का भी भरपूर प्रयास किया। समय के साथ, इनकी राजनीतिक भागीदारी पंचायतो से निकलकर ग्रामसभा, विधानसभा एवं संसद तक पहुँची। इसके बाद तो आदिवासियों को समाज की मूल धारा में लौटकर उसके साथ सामजंस्य स्थापित करने में सहायता मिली। वर्तमान समय में ये आदिवासी ना केवल शासन व्यवस्था में भागीदार बन गए है, बल्कि राज्य, देष स्तर पर अपनी विशिष्ट राजनीतिक पहचान स्थापित कर चुकें है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णानात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए द्वितीय स्त्रोतो का उपयोग किया गया हे। इसके लिए मुख्यतः प्रकाषित ग्रंथ, पत्र पत्रिकाओं में छपे विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध ग्रंथो को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

पुरातन पंचायत व्यवस्था द्वारा शासन करते हुए झारखण्ड के आदिवासियों में समय के साथ-साथ बदलाव सम्पादित हुए। छोटानागपुर में राजतंत्र की स्थापना के बाद यहां ही पंचायत व्यवस्था में काफी फेर-बदल हुआ। अब महाराजा मुंडा का संरक्षक हो गया तथा मुण्डा दुश्मनों से संरक्षण प्रदान के बदले महाराजा को स्वैच्छिक चन्दा देने लगे। बाद में चलकर राजा के अनुदान ग्राहियों यथा-राउतिया, ब्राहमण, मुसलमान तथा सिक्खों की सेवाओं के बदले उन्हे अनेक गांव दे दिये गए, जिसके कारण जनजातीय परम्परागत पंचायती व्यवस्था के परम्परागत प्रकार्यों पर प्रतिकूल असर

पड़ा। मुगल काल एवं अंग्रेजों के शासन के दौरान जागीरदारी प्रथा के कारण यहाँ की जनजातीय स्वायत शासन व्यवस्था को काफी धक्का लगा। ब्रिटिष शासन काल में बाहरी जमींदारो को अंग्रेजी सरकार की सहायता करने के पुरस्कार में परगान प्रदान किये गए, जिसके कारण चेरो तथा खरवारो के बीच विद्रोह की भावना पनपी।

१९ वीं सदी के तीसरे दषके के दौरान छोटानगपुर में बंगाल कोड के तहत नये नियमावलियों के लागू किए जाने के फलस्वरूप क्षेत्र में पुलिस तथा कचहरी की स्थापना ने झारखण्ड के जनजातियो पर अपनाया गया जिसके कारण परम्परागत जनजातीयों पंचायतो के अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा। अग्रंजी शसको पर अपनी पकड़ मजबूत बनाये रखने तथा उनसे ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने के लिए परम्परागत जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन लाया। अब मांझी तथा नायकों को वृति देकर उन्हे अंग्रेजी सरकार का वफादार बना दिया गया। सरकारों को अनुमंडलाधिकारी के सम्मुख हाजिरी देने तथा अपने क्षेत्र में गैर कानूनी कार्यों की सूचना देने वाला संदेषवाहक बना दिया गया। ईसाई मिषनरियो के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार के फलस्वरूप भी परम्परागत जनजातीय तथा ईसाई जनजातियों के बीच गहरी खाई उत्पन्न हुई जिसकी वजह से जनजातीय परम्परागत पंचायती व्यवस्था चरमरा उठी। अब व्यवहारिक रूप से परम्परागत पंचायतो की शक्ति भू-स्वामियों तथा जमींदारों में सकेंद्रित हो गयी, जिसके अन्तर्गत जमींदारी तथा जनजातियों के संबंध प्रभुत्व तथा अधीनत के हो गये।

स्वतंत्रता के पष्चात् राज्य व्यवस्था लागू किए जाने के क्रम में वैधानिक पंचायतो की स्थापना की गयी, जिसके अनतर्गत बहुमत के आधार पर मुखिया तथा सरपंच का चुनाव किया जाने लगा। जिसके फलस्वरूप, परम्परागत जनजातीय पंचायत का अस्तित्व संकट में पड़ गया। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया तथा षिक्षा के प्रसार के कारण अब परम्परागत जनजातीय शक्ति संरचना में प्रदत्त प्रस्थिति के बजाय अर्जित प्रस्थिति का महत्व बढ़ने लगा है।

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन तथा वैधानिक पंचायतो की स्थापना के पष्चात् परम्परागत जनजातीय पंचायतो का न्यायिक स्वरूप दुर्बल पड़ने लगा, किन्तु राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में ये परम्परागत जनजातीय पंचायतें जनजाति के आधार पर संगठित होने के कारण वर्तमान समय में भी शक्ति का प्रमुख स्त्रोत बनी रहीं। चुनाव के अवसरों पर आज भी इन परम्परागत पंचायती का वर्चस्व देखने को मिलता है।

स्वतंत्रता के बाद झारखण्ड के परम्परागत जनजातीय नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत धर्मनिरपेक्ष, समातावादी तथा गणतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए जनजातीय विकास को प्राथमिकता दी गयी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत जनजातीय विकास के लिए न केवल अनेक विकास योजनाएँ आरंभ की गयी, बल्कि इन विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जनजातीय सहभागिता को भी अनिवार्य समझ जाने लगा। इस नयी स्थिति ने परम्परागत जनजातीय नेतृत्व को एक नया आयाम दिया ।

स्वतंत्रता के बाद झारखण्ड की जनजातीय समाज में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का विका हुआ, जिसके द्वारा व्यक्ति की अनुवांषिक स्थिति, भू-स्वामित्व तथा जनजातिगत सदस्यता का महत्व समाप्त हो गया। पंचायती व्यवस्था लागू किये जाने के पष्चात् जनजातीय नेतृत्व उन व्यक्तियों में केंि ाया, जिन्हें आम चुनाव में बहुमत प्राप्त होने लगा।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नेता जनसमुदाय को अपने व्यवहारों से प्रभावित करने के साथ ही जन आकांक्षओं से भी प्रभावित करने के साथ ही जन आकांक्षओं से भी प्रभावित होता है।

जनजातीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप जनजातीय नेतृत्व में विविधता की स्थिति उत्पन्न हुई। जनजातीय जीवन की विभिन्न आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के नेताओं की आवष्यकता महसूस हुई। उदाहरणार्थ-ग्रामसभा का प्रधान न्यायपंचायत का सरपंच, सरकारी नीति का अध्यक्ष, इत्यादि ऐसे नेताओं का उदय हुआ जिनके अन्तर्गत समग्र जनजातीय नेतृत्व विषिष्ट कार्यों से संबंध विषिष्ट लोगों को पृथक-पृथक रूप में नेता की मान्यता दी जाने लगी। इस परिवर्तन के दौर में उँची आयु समूहों के हाथ में केन्द्रित परम्परागत जनजातीय नेतृत्व चरमरा उठा। अब जनजातीय नेतृत्व में धीरे धीरे युवा वर्ग का पदार्पण होने लगा, क्योकि जनजातीय विकास कार्यक्रमों में जनजातीय युवाओं की सहभागिता बढ़ने लगी तथा उनमें औपचारिक षिक्षा के प्रसार के कारण बदलती परिस्थितियों में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हुआ।

परम्परागत जनजातीय नेतृत्व में भू-स्वमियों तथा धनाढ़यों की परोक्ष रूप से काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किन्तु नये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत जनजातीय नेतृत्व के लिए जन साधारण का भी प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाने लगा विषेषकरण मध्यम वर्ग के सदस्यों को नेतृत्व ग्रहण करने का अवसर मिला। चूँकि, जनसमुदाय को अब कभी भी अपने नेता को बदल देने का अधिकार प्राप्त हो गया। परहा, हातु तथा टोला पंचायत स्तर पर जहाँ पहले अलग-अलग नेता होते थे, अब उनके स्थान पर एक सामूहिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके अन्तर्गत जनजातीगत विभाजन पर आधारित दृढ़ता हद तक दुर्बल पड़ने लगी।

जनजातीय शक्ति संरचना के अन्तर्गत विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रवेष के कारण जनजातीय नेतृत्व विभिन्न राजनैतिक दलों से संबंद्ध हो उठा। वर्तमान समय में सामाजिक सुधार तथा सामुहिक हितो से लगाव नहीं रहा जिसका विभिन्न राजनीतिक दलो कि गतिविधियो से लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति के अन्तर्गत नेतृत्व का निर्धारण अब किसी समुह की संख्या शक्ति के आधार पर होने लगा तथा परम्परागत जनजातीय नेतृत्व का निर्धारण अब किसी समूह का महत्व नहीं रहा नौकरषाही का भी जनजातीय नेतृत्व में काफी व्यापक प्रभाव पड़ा।

निष्कर्ष

इस प्रकार झारखण्ड प्रदेष के राजनीतिक उतार चढ़ाव पर विहगंम दृष्टिपात करने पर हमें यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि जनजातीय जीवन में नेतृत्व के जो नये प्रतिमान उदित हुए उनके लिए मुख्य रूप से बदलती हुई परिस्थितियों उतर दायी रहीं। भूमि हदबंदी तथा भू-स्वामित्व के नये कानून बनाये जाने के कारण परम्परागत भू-स्वामियों की स्थिति में हास हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के कारण जनजातीय नेतृत्व का परम्परागत स्वरूप कायम न रह सका। किन्तु झारखण्ड के जनजातीय नेतृत्व से अधिक उम्दा साबित नहीं हुए। झारखण्ड की जनजातीय में समय-समय पर अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थितियों के प्रति व्यक्त किये गए असंतोष तथा आंदोलन इस बात के प्रमाण है। परम्परागत जनजातीय शक्ति संरचना में जिन लोगों का प्रभुत्व था, वे आज भी अपने प्रभाव को बरकरार बनाये रखने के लिए सतत् प्रयत्नषील है, जिसके फलस्वरूप संघर्ष व तनाव की जो स्थिति पैदा हुई है उसने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। परम्परागत नेताओं के विपरित वर्तमान समय के नेता अपेक्षकृत कही अधिक व्यक्तिवादी तथा स्वार्थपरक है। वर्तमान जनजातीय नेतृत्व का स्वरूप ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तथा लोकसभा तक के चुनावों तक विस्तारित हो गया है,

जिसके फलस्वरूप जनजातीय समस्याओं के निराकरण में अधिक सफलता नहीं मिल पाती है इसके कारण पारस्परिक संघर्ष तथा गुटवाद की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है। इसके बावजूद आदिवासियों के राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाने हेतु सरकार को आदिवासियों की बुनियादी आवष्यकताओं की पूर्ति को सुष्चित करना होगा तभी जाकर इनको राजनीति में बराबरी का स्थान प्राप्त हो पाएग तथा वह सक्रिय रूप से राजनीतिक योगदान कर पाएँगे।

झारखण्ड के जनजातीय समाज का राजनैतिक जीवन भी आज बहुत तेजी से बदल रहा है। परम्परागत जनजातीय नेतृत्व के व्यवहारों प्रस्थितियों, भुमिकाओं तथा स्वीकृतियों में परिवर्तन के प्रभाव को आज स्पष्टतः देखा जा सकता है। भारत के संविधान के ७३ वें संषोधन के बाद पेषा अधिनियम पारित हो जाने के कारण झारखण्ड के परम्परागत जनजातीय पंचायतों के अधिकारो तथा प्राकार्यो में विचारणीय परिवर्तन आया है। झारखण्ड की परम्परागत जनजातीय शक्ति संरचना आज नवीनता को आत्मसात करने की ओर उन्मुख है। परिर्वतन की दिषा के क्रम में झारखण्ड के सभी जनजातीय समूह किसी न किसी सीमा तक पष्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित है तथा जनजातीय समाज तथा अन्य समुदायों के बीच खाई कम हो रही है।

षिक्षा के प्रचार के कारण काफी बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों नौकरी तथा अन्य पेषाओ में आ रहे है। साक्षरता के क्रम में आकड़े उपर की ओर वड़ रहे है। आज अधिकांष जनजातीय आबादी द्विभाषी है तथा सुदूर पिछड़े जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर सम्प्रेषण की कोई खास समस्या नहीं है। उनका जीवन स्तर उनकी आम स्तर के अन्य गैर जनजातीय लोगों के लगभग समकक्ष है। झारखण्ड के जनजातियों में विषेषकर षिक्षितों तथा नगरीकृत जनजातीयों में एक प्रगतिषील दृष्टिकोण का अुम्दय हो चुका है। वैष्वीकरण की प्रक्रिया तीव्रता से जनजातीय जीवन को प्रभावित करने के दिषा में तत्पर है।

इन सब के वावजूद भी झारखण्ड का राजनैतिक विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ क्योंकि अपने गठन के समय से ही राजनीतिक अस्थिरता के कारण तथा ज्ञाप्त भ्रष्टाचार, लूट खसोट अयोग्य नेता तथा अकुषल तथा भ्रष्ट पदाधिकारियों तथा नौकरषाही ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। जन जागरूकता की कमी तथा नक्सली भी यहां विकास के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- वर्मा उमेष कुमार, झारखण्ड की जनजातीय समाज, सुबोध ग्रंथमाला रांची, २००६, पृ० १४।
- सिंह योगेन्द्र, भारत में समाजिक परिवर्तन (संकट और समृत्थान परकता) जवाहर पब्लिषर्स
- खण्ड डिस्ट्रप्युटर्स, नई दिल्ली १९९९ ।
- कुपुस्वामी वी०, सोसल चेंज इंडिया, कोणार्क पब्लिकेषन प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली १९९३।
- मदन जी०आर० परिर्तन एवं विकास का समाजषास्त्र विवेक प्रकाषन, दिल्ली, २००५।
- योगेष अटल : ''आदिवासी भारत'', नई दिल्ली, १९६५ ।
- एस०सी० दूबे : ''मानव और संस्कृति'', दिल्ली, १९६०।

- डंगूमइमत रू ष मेंले पद ौवबपवसवहल ष ।गवितकए १६४६
- ज्ञण ल्वनदह रू ष्। भ्ंदक इववा वि ौवबपंस च्ेलबीवसवहलष्ए स्वदकवदए १६४८
- छण च्वेंक रू ष स्ंदक ंदक च्मवचसम वि ज्तपइंस ठपींतष्ए त्ंदबीपए १६६१
- डण ठंदमतरमम रू ष। भ्पेजवतपबंस व्नज सपदम च्तम.ठतपजपेी बिवजंदंहचनतष्ए त्ंदबीप
- न्ण्ज्ञण टमतउं रू ष्जीम जतपइंस ौबमदंतपव वि ींदर्जींस च्तहंदेंष्ए च्ंजदंए १६६६
- ॅण्भ्ण्त्ण त्पअमत रू ष्ैवबपंस व्तंहदपेंजपवदष् १६२४ ।
- यू० के० वर्मा : ‘‘ बिहार के जनजातीय जीवन‘‘ वाराणसी, १६६१ ।
- छण्ज्ञण ठवेम रू ष्ब्ंदहमे पद जीम ज्तपइंस ब्नसजनतमे इमवितम ंदक ंजिमत
  पदकमचमदकमदबमष्ण
- त्ण।ण बींजजमतद रू ष्जीम ेजवतल पिजिल लमंते उपेपवद ूवता पद बीवजंदंहचनतष्ए स्वदकवद १६०१